

04-05-22

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान् अभिभाषक अपीलान्तु द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति पर जवाब/बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8 बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 की 1.15 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलान्तु के मुरब्बे में स्थित भूमि है, जिसके आवंटन



का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है। आवंटन नियमों में किसी भी काश्तकार के मुख्बें में निहित भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार उसी मुख्बें के धारित भूमिधारक को होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से ही बतौर हितबद्ध/पीड़ित पक्षकार अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिलिखित किया गया है कि हितबद्ध/पीड़ित पक्षकार द्वारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय का ध्यान आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1206 व आरआरडी 2016 पेज 693 की तरफ आकर्षित करवाया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के संबंध में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-02-2022 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 07-04-22 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्समय अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16-03-22 को प्राप्त हुई जब रेस्पोंडेन्ट्स मौके पर कब्जा प्राप्त करने के लिय आये। तब अपीलांट द्वारा विरोध करने पर रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि का आवंटन हमारे पक्ष में हो चुका है। अपीलांट द्वारा बिना किसी देरी के अधीनस्थ न्यायालय से नकल व अन्य दस्तावेजात् प्राप्त करते हुए बिना किसी देरी के अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 117-118, आरबीजे 2018 पेज 279, आरबीजे 2000 पेज 329, आरआरडी 2008 पेज 842 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

3
राजस्थान अपील अदालत
बीकानेर



करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8 बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 की 1.15 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन की मांग की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को मात्र लाभ पहुँचाने की नियत मात्र से वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया जाना प्रथम दृष्टया ही साबित होता है, क्योंकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि आवंटन नियमों में आवंटन हेतु प्रत्येक काश्तकार को पृथम-पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन की मांग की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा बतौर मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा चिपते काश्तकारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के अतिरिक्त अन्य चिपते काश्तकारों के नाम अभिलिखित करते हुए प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि भी चिपते हुए बताई गई थी। जबकि अपीलांट को चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 में ही किला नम्बर 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 व 11 कुल 9 बीघा भूमि आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की वरियता होने पर भी अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है। जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि-धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व अन्य काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया वरन् एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 13-01-2022 को जारी करते हुए उक्त नोटिस की प्रति पंचायत कार्यालय में चस्पा करते हुए सभी काश्तकारों पर नोटिस तामील मानते हुए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में सार्वजनिक सूचना के तहत नोटिस तामील के कोई प्रावधान निहित नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। मिडियमपेच

2
राजस्थान अदालत अधिकारी
बीकानेर



आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बे में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/29 में स्थित है जोकि आवंटन योग्य भूमि दो मुरब्बे बाद स्थित है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। चूंकि आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि अपीलांट के धारण के मुरब्बे में निहित भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अपीलाधीन आदेश की पालना में यदि वादग्रस्त भूमि के मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 काबिज हो गये तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8 बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 की 1.15 बीघा अनकमाण्ड भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 200 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-02-2022 को पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है क्योंकि अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ इजाजत् प्राप्त करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जोकि एक अत्यावश्यक प्रावधान है। ऐसीस्थिति में बिना 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। कानूनन अपीलांट की अपील मेंटेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरटी 2012 पार्ट 1

राजस्थान अपील आधिकारिक
बीकानेर



पेज 374, आरआरटी 2021 पार्ट I पेज 19 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-02-22 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-04-22 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण बताये गये है वह वेग कारण है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व सार्वजनिक सूचना दिनांक 13-01-22 को जारी की गई थी जिसकी अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी। उक्त नोटिस की तामील तहसीलदार द्वारा विधिवत तरीके से करवाई गई थी जिस पर उपसरपंच के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। इस तथ्य की ताईद इससे भी साबित होती है कि मुरब्बा नम्बर 65/12 में धारित भूमि के अन्य काश्तकार पतराम द्वारा सार्वजनिक सूचना का नोटिस तामील होने के उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए रेस्पोजेन्ट्स के पक्ष में आवंटन हेतु अपना शपथ/सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त सार्वजनिक नोटिस की सूचना नहीं होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक 16-03-22 को रेस्पोजेन्ट्स कब्जा लेने आये तब उन्हें उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई सर्वथा गलत व मिथ्या कथन है क्योंकि रेस्पोजेन्ट्स को दिनांक 12-02-22 को ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका था। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में किये गये कथन आधारहीन, मनगढ़त व मिथ्या होने के कारण अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2012 पेज 641, आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II पेज 105, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 543 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोजेन्ट्स संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8 बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 की 1.15 बीघा अनकमाण्ड भूमि के बतौर

राजस्थान अपील आयोग
बीकानेर



मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सभी चिपते व पड़ौसी काश्तकारों को सार्वजनिक सूचना दिनांक 13-01-2022 के माध्यम से उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सार्वजनिक सूचना नियमानुसार तहसील कार्यालय, नोटिस बोर्ड संबंधित चक की ग्राम पंचायत व चक 2 पीकेडी ए के सहज दृश्य स्थल पर चस्पा की गई। उक्त नोटिस संबंधित तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा बाद तामील प्राप्त होने व उसी मुरब्बे में धारित भूमि के काश्तकार पतराम पुत्र जीवणराम द्वारा अपनी सहमति प्रस्तुत करने व अन्य काश्तकारों द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति/आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम से जरिये नामान्तरणकरण संख्या 67 दिनांक 22-02-22 दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसीस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित की गई तो रेस्पोडेन्ट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिसकी अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट्स को कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट 1 पेज 185 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08-02-22 को पारित अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि वक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 की 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश की पालन स्थगित रखे जाने की इस्तदुआ की गई है।

प्रकरण में सर्वप्रथम जहाँ तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष पक्षकार नहीं

2
राजस्थान अपील अधिकारी
जयपुर



था ना ही उनके द्वारा बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाट् द्वारा प्रस्तुत अपील मेंटेनबल नहीं होने का कथन किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि जिसका आवंटन रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है, उक्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 में निहित है, चूंकि अपीलाट् उसी मुरब्बे में धारित भूमि का काश्तकार है, जिसे बिना नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलाट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 पार्ट II में अभिलिखित किया गया है कि:-

Section 96 – Aggrieved person can file the appeal directly without filing the application under section 96 CPC.,

इसी प्रकार आरआरडी 2016 पेज 693 में अभिलिखित किया गया है कि:-

As per judgment of this Hon'ble Board, even there is no need for filing of Section 96 CPC application and any party may file the appeal directly claiming to be the aggrieved person or affected party., अतः उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में रेस्पोंडेन्ट्स की धारा 96 सीपीसी पर प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया जाता है।

प्रकरण में जहाँ तक अपीलाधीन आदेश जोकि दिनांक 08-02-22 को पारित किया गया है के विरुद्ध अपील दिनांक 07-4-2022 को प्रस्तुत की गई है। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलाट् की अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र आधारहीन, मनगढ़त व झुठे कथनों पर आधारित होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली के साथ संलग्न/प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-02-2022 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 07-04-2022

राजस्व अपील बोर्ड



को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि 30 दिवस के उपरान्त 28 दिवस के बाद उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी मौके पर रेस्पोंडेन्ट्स दिनांक 16-03-22 को कब्जा प्राप्त करने आये तब प्राप्त हुई, इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट्स का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 12-02-22 को ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया। चूंकि न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के मौके की स्पष्ट स्थिति (आज दिनांक) उपलब्ध नहीं होने व अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित होने के कारण अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में चूंकि 96 सीपीसी व मियांद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जा चुका है तथा उभय पक्षों द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ-साथ गुणावगुण के बिन्दु पर भी अपना मत व्यक्त कर दिया गया है व प्रकरण में अदालत मातहत की तमाम पत्रावाली की प्रमाणित व सभी हितबद्ध पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण स्थगन प्रार्थना पत्र के स्थान पर गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत होने से प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के मुरब्बे में निहित होने के कारण आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सूचना व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 को किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावाली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 03-01-2022 को वादग्रस्त भूमि चक 2



पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8.05 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 कुल 1.15 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु एक ही प्रार्थना पत्र मय एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या एक भूमि के आवंटन हेतु दो काश्तकारों द्वारा सम्मिलित रूप से आवेदन/शपथ पत्र किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध में कानून की यह मंशा है कि कोई भी काश्तकार जो भूमि आवंटन करवाना चाहता है, उन सभी काश्तकारों को भूमि आवंटन हेतु पृथक-पृथक आवेदन किया जाना अपरिहार्य है। एक या एक से अधिक काश्तकार द्वारा एक ही आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर काश्तकारों की वरियता का निर्धारण, कब्जे काश्त की भूमि, सिलिंग सीमा का निर्धारण पृथक-पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्यसा 2 व 3 के सम्मिलित प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन किया जाना स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत है।

जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन के गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 6, 7, 12, 14 ता 16, 19, 20/0.15, 22/0.10 की 8.05 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13, 23/0.15 कुल 1.15 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारीहल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई। जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 65/12 के काश्तकार अपीलांट व पतनराम पुत्र जीवणराम के साथ ही अन्य काश्तकार मुरती पत्नी कुलदीप, गिरदावरी देवी पत्नी नानूराम, फुसराम पुत्र जीवणराम, रामनाराण पुत्र हुक्माराम, शिवनारायण पुत्र बनवाशीलाल, लिछमादेवी पत्नी सुखराम, मन्जुदवी पत्नी साहबराम, महावीर पुत्र हुक्माराम आदि को चिपते काश्तकार होने का उल्लेख किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी नहीं करते हुए दिनांक 13-01-22 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई तथा उक्त सूचना की प्रति तहसील कार्यालय, नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व चक 2 पीकेडी 'ए' के दृश्य स्थल पर चरपा की गई। उक्त नोटिस पर उपसरपंच ग्राम पंचायत डंडी के हस्ताक्षर अंकित है, अदालत मातहत

2
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा नोटिस की समुचित तामील मानकर अन्य पड़ोसियों द्वारा भूमि के आवंटन में रुचि नहीं लेना मानते हुए आवेदक मन्जूदेवी व लिछमादेवी के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। अपीलांट जोकि उसी मुरब्बे में धारित भूमि का काश्तकार है, जिसे किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 202 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

As per proviso of R. 14A. tenant of the adjoining land has preferential right of allotment-No notice served upon the adjoining tenants., No occasion to resort to alternative mode of service.,

लिहाजा अदालत मातहत द्वारा तामील की प्रक्रिया की समुचित पालना किये बिना ही मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन किये जाने की मंशा प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। उक्त भूमि ~~मि. जयप्रकाश~~ पेच के रूप में विक्रय योग्य घोषित की गई है तो आवंटन नियमों के तहत सभी पात्र काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी करते हुए उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में भूमि का विक्रय खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों को आमंत्रित करते हुए किया जाता तो सरकार को अतिरिक्त आय होती।

प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है- चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो, या उक्त आवंटन डीएलसी रेट से किया गया हो, परन्तु अदालत मातहत का उक्त कृत्य उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित करने वाला प्रकट होता है। हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह्म होने से नियम विरुद्ध व अपारदर्शी श्रेणी का है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-02-2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश



राज्य जयंत अधिकारी
पूगल

के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी करते हुए, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(राजस्व अपील अधिकारी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

